



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230658
CG-DL-E-23102021-230658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 497]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/200/2017/डीडी/217/2017/डीसी/989/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. विशाल ढींगरा (सदस्यता संख्या 408383), मकान नं. 1054, एफएफ, शक्ति खंड 4, जिला गाजियाबाद, इंदिरापुरम 201 010 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (4) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. विशाल ढींगरा (सदस्यता संख्या 408383) के नाम को 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. विशाल ढींगरा (सदस्यता संख्या 408383) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./361/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/200/2017/DD/217/2017/DC/989/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Vishal Dhingra (Membership No. 408383), House no. 1054, FF, Shakti Khand 4, Distt Ghaziabad, INDIRAPURAM 201 010**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (4) of Part I of the Second Schedule and Item (2) of Part IV of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Vishal Dhingra (Membership No. 408383)**, from the Register of Members for a period of 05(Five) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Vishal Dhingra (Membership No. 408383)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 05(five) years with effect from 22nd October, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./361/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230657
CG-DL-E-23102021-230657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]
No. 500]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/95/16-डीडी/5/17-डीसी/933/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अविनाश लालवानी (सदस्यता संख्या 048715), 4/ए, भूतल, डायमंड ट्रेडिंग सेंटर, खटाहू वाडी, गोरेगांवकर लेन, (सेंट्रल सिनेमा के साथ लगा हुआ), मुंबई 400004 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अविनाश लालवानी (सदस्यता संख्या 048715) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अविनाश लालवानी (सदस्यता संख्या 048715) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./364/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/95/16-DD/5/INF/17-DC/933/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Avinash Lalwani (Membership No. 048715), 4/A, Ground Floor, Diamond Trading Centre, Khatatu Wadi, Goregaonkar Lane, (Attached to Central Cinema), MUMBAI 400 004**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Avinash Lalwani (Membership No. 048715)**, from the Register of Members for a period of 03(Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Avinash Lalwani (Membership No. 048715)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) months with effect from 22nd October, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./364/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230656
CG-DL-E-23102021-230656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 498]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/61/15-डीडी/06/आईएनएफ/16-डीसी/729/2017.— चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. किशोर पुरुषोत्तम जोशी (सदस्यता संख्या 034760), 607, शारदा चेम्बर्स, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई 400 020 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. किशोर पुरुषोत्तम जोशी (सदस्यता संख्या 034760) के नाम को 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. किशोर पुरुषोत्तम जोशी (सदस्यता संख्या 034760) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./362/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/61/15-DD/06/INF/16-DC/729/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kishor Purushottam Joshi (Membership No. 034760), 607, Sharda Chambers, New Marine Lines, MUMBAI 400 020**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (7) & (9) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Kishor Purushottam Joshi (Membership No. 034760)**, from the Register of Members for a period of 05(Five) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kishor Purushottam Joshi (Membership No. 034760)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 05(Five) years with effect from 22nd October, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./362/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230619
CG-DL-E-22102021-230619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 487]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/245/2014/डीडी/258/2014/डीसी/605/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. (सुश्री) नीलम धवन (सदस्यता संख्या 081035), 218, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली 110 065 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. (सुश्री) नीलम धवन (सदस्यता संख्या 081035) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. (सुश्री) नीलम धवन (सदस्यता संख्या 081035) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./351/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/245/2014/DD/258/2014/DC/605/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. (Ms.) Neelam Dhawan (Membership No. 081035), 218, Kailash Hills, NEW DELHI 110 065**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. (Ms.) Neelam Dhawan (Membership No. 081035)**, from the Register of Members for a period of 03(Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. (Ms.) Neelam Dhawan (Membership No. 081035)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./351/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230622
CG-DL-E-22102021-230622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]
No. 488]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/321/2014/डीडी/340/2014/डीसी/608/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सी.ए. मोहम्मद शाहीन अशरफ पदथ (सदस्यता संख्या 210295), निवासी पुलिमुत्तिल हाउस, पद्मा थिएटर के पीछे, यहूदी स्ट्रीट, एर्नाकुलम 682 035 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सी.ए. मोहम्मद शाहीन अशरफ पदथ (सदस्यता संख्या 210295) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सी.ए. मोहम्मद शाहीन अशरफ पदथ (सदस्यता संख्या 210295) का नाम, 22 अक्तूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./352/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/321/2014/DD/340/2014/DC/608/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **C.A. Mohammed Shahin Ashraf Padath (Membership No. 210295), Resident of, Pulimoottil House, Behind Padma Theatre, Jews Street, ERNAKULAM 682 035**, guilty of Professional and other Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of the Second Schedule and Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **C.A. Mohammed Shahin Ashraf Padath (Membership No. 210295)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **C.A. Mohammed Shahin Ashraf Padath (Membership No. 210295)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22nd October, 2021.

C.A., (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./352/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230625
CG-DL-E-22102021-230625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]
No. 486]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/08/2015/डीडी/21/2015/डीसी/578/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. राज कुमार साहनी (सदस्यता संख्या 010516), जे-6/108, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110 027 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (3) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. राज कुमार साहनी (सदस्यता संख्या 010516) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. राज कुमार साहनी (सदस्यता संख्या 010516) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./350/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/08/2015/DD/21/2015/DC/578/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Raj Kumar Sawhney (Membership No. 010516), J-6/108, Rajouri Garden, NEW DELHI 110 027**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (3) of Part II of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Raj Kumar Sawhney (Membership No. 010516)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Raj Kumar Sawhney (Membership No. 010516)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22nd October, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./350/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230626
CG-DL-E-22102021-230626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 489]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/190-14-डीडी/210/14-डीसी/664/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सी.ए. मूलराज देवचंद गाला (सदस्यता संख्या 041206), फ्लैट नंबर ए 12, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 412, माई मदर सीएचएस लिमिटेड, आर सी मार्ग, चेम्बूर नाका, मुंबई 400 071 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (5), (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सी.ए. मूलराज देवचंद गाला (सदस्यता संख्या 041206) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सी.ए. मूलराज देवचंद गाला (सदस्यता संख्या 041206) का नाम, 22 अक्तूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./353/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/190/14-DD/210/14-DC/664/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **C.A. Mulraj Devchand Gala (Membership No. 041206), Flat No. A 12, 2nd Floor, Plot No. 412, My Mother CHS Ltd., R C Marg, Chembur Naka, MUMBAI 400 071**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5), (7), (8) and (9) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Mulraj Devchand Gala (Membership No. 041206)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **C.A. Mulraj Devchand Gala (Membership No. 041206)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22nd October, 2021.

C.A.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./353/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230631
CG-DL-E-22102021-230631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 505]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/4/एन/13-डीडी/4/एन/आईएनएफ/13/बीओडी/279/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपविनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. अवधेश मित्तल (सदस्यता सं. 083360), ई-582, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 110 048 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अवधेश मित्तल (सदस्यता सं. 083360) के नाम को 45 (पैंतालीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अवधेश मित्तल (सदस्यता सं. 083360) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 45 (पैंतालीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./369/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/4/N/13-DD/4/N/INF/13/BOD/279/2017.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Avdhesh Mittal (Membership No. 083360), E-582, Greater Kailash, New Delhi 110 048**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Avdhesh Mittal (Membership No. 083360)** from the Register of Members for a period of 45 (Forty five) days and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Avdhesh Mittal (Membership No. 083360)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 45 (Forty Five) days with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./369/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230632
CG-DL-E-22102021-230632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506]
No. 506]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/314/2015-डीडी/17/2016/बीओडी/416/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपविनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सी.ए. गौरव अग्रवाल (सदस्यता संख्या 505241), एसी-174ए, भूतल, शालीमार बाग, नई दिल्ली 110 088 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सी.ए. गौरव अग्रवाल (सदस्यता संख्या 505241) के नाम को 1 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 60,000/- रुपए (साठ हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सी.ए. गौरव अग्रवाल (सदस्यता संख्या 505241) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 1 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./370/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/314/2015-DD/17/2016/BOD/416/2017.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Gaurav Agarwal (Membership No. 505241), AC-174A, Gound Floor, Shalimar Bagh, New Delhi 110 088**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Gaurav Agarwal (Membership No. 505241)** from the Register of Members for a period of 1(One) month and also imposed a fine of Rs. 60,000/- (Rupees Sixty Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Gaurav Agarwal (Membership No. 505241)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01 (one) month with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./370/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230633
CG-DL-E-22102021-230633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 490]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/317/2014/डीडी/336/2014/डीसी/490/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. श्री किशन गुप्ता (सदस्यता संख्या 084077), 215, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली 110 049 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. श्री किशन गुप्ता (सदस्यता संख्या 084077) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. श्री किशन गुप्ता (सदस्यता संख्या 084077) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./354/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/317/2014/DD/336/2014/DC/490/2016.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Shri Kishan Gupta (Membership No. 084077), 215, Gulmohar Enclave, NEW DELHI 110 049**, guilty of Professional and other Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of the Second Schedule and Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Shri Kishan Gupta (Membership No. 084077)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Shri Kishan Gupta (Membership No. 084077)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./354/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230634
CG-DL-E-22102021-230634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]
No. 493]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/240/17/डीडी/224/टीएएमसी/आईएनएफ/2017/डीसी/1183/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751), द्वितीय तल, 592, III क्रॉस, एच एम टी लेआउट, बंगलुरु 560 032 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751) पर, दिशा-निर्देशों में निर्धारित संख्या से अधिक संपरीक्षा किए गए प्रत्येक मामले के लिए 1000/- रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया, जो कुल मिलाकर केवल 4,90,000/- रुपए (रूपये चार लाख नब्बे हजार) मात्र बनता है, जो उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर देय था। अनुशासन समिति ने यह और आदेश दिया था कि यदि प्रत्यर्थी सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751) यथा-अनुबंधित समय, अर्थात् 03 (तीन) मास के भीतर अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उस के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। चूंकि प्रत्यर्थी यथा-अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने को जमा करने में असफल रहा है इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के

अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./357/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/240/17/DD/224/TAMC/INF/2017/DC/1183/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ravindra M C (Membership No. 019751), II Floor, 592, III Cross, H M T Layout, BENGALURU 560 032**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 4,90,000/- (Rupees Four Lakh Ninety Thousand) only which was payable within 3 months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Ravindra M C (Membership No. 019751)**, fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months, his name should be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ravindra M C (Membership No. 019751)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./357/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230635
CG-DL-E-22102021-230635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]
No. 501]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/310/13-डीडी/49/14/डीसी/514/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. दिनेश गोपालराव मालपाठक (सदस्यता संख्या 006427) 1, वत्सला निवास, गोल कॉलोनी, गुप्ते अस्पताल के पास, नासिक 422 002 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. दिनेश गोपालराव मालपाठक (सदस्यता संख्या 006427) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) (लागू करें को छोड़कर, यदि कोई हो) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। तथापि, अनुशासन समिति द्वारा दिए गए दंड को अपील संख्या 24/आईसीएआई/2019 द्वारा अपीलिय प्राधिकरण ने अपने 16 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित करके नाम हटाए जाने की अवधि को छह मास से घटाकर तीन मास कर दिया था। तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. दिनेश गोपालराव मालपाठक (सदस्यता संख्या 006427) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./365/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/310/13-DD/49/14/DC/514/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Dinesh Gopalrao Malpathak (Membership No. 006427) 1, Vatsala Niwas, Gole Colony, Near Gupte Hospital, NASHIK 422 002**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (9) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Dinesh Gopalrao Malpathak (Membership No. 006427)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only (excluding applicable taxes, if any). However, the punishment awarded by the Disciplinary Committee has been modified by the Appellate Authority vide its order dated 16th March, 2021 in Appeal no. 24/ICAI/2019 by reducing the period of removal from six months to three months. Accordingly, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Dinesh Gopalrao Malpathak (Membership No. 006427)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 22nd October, 2021.

C.A. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./365/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230636
CG-DL-E-22102021-230636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]
No. 494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/91/2013/डीडी/116/2013/डीसी/506/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अनुग्रह श्रीवास्तव (सदस्यता संख्या 073264), 117/170, एम-ब्लॉक, काकादेव, कानपुर 208 019 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) और दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अनुग्रह श्रीवास्तव (सदस्यता संख्या 073264) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के भुगतान करने में व्यतिक्रम के मामले में उसका नाम अतिरिक्त 3 मास की अतिरिक्त अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अनुग्रह

श्रीवास्तव (सदस्यता संख्या 073264) का नाम, 22 अक्तूबर, 2021 से 15 (पन्द्रह) मास की समेकित अवधि [1 (एक) वर्ष और अतिरिक्त 3 (तीन) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./358/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/91/2013/DD/116/2013/DC/506/2016.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Anugrah Srivastava (Membership No. 073264), 117/170, M-Block, Kakadeo, KANPUR 208 019**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (2) of Part IV of First Schedule and Item (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Anugrah Srivastava (Membership No. 073264)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only, to be paid within 30 days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for additional 3 months period. Since the Respondent failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of aforesaid decision of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Anugrah Srivastava (Membership No. 073264)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 15(fifteen) months [01(one) year plus additional 03(three) months] with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./358/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230637
CG-DL-E-22102021-230637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 507]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-266/16-डीडी/285/2016-बीओडी/469/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपविनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. पद्मकेश दुबे (सदस्यता सं. 403892), केदारभूमि टोकलो रोड, वार्ड सं. 6, चक्रधरपुर, झारखण्ड 833 102 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पद्मकेश दुबे (सदस्यता सं. 403892) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. पद्मकेश दुबे (सदस्यता सं. 403892) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./371/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-266/16-DD/285/2016-BOD/469/2018.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Padmakesh Dubey (Membership No. 403892), Kedarbhumi Toklo Road, Ward No. 6, Chakradharpur, JHARKHAND 833 102**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Padmakesh Dubey (Membership No. 403892)**, from the Register of Members for a period of 1(One) month and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Padmakesh Dubey (Membership No. 403892)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./371/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230639
CG-DL-E-22102021-230639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]
No. 492]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/89/17/डीडी/77/टीएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1154/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. प्रेम कुमार पी.के. (सदस्यता संख्या 028270), परसू भवनम, 33, चोक्कानाथपुरम मेन रोड, आईटी कार्यालय के पास, मदुरै 625 014 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक की गई प्रत्येक संपरीक्षा के प्रत्येक मामले के लिए 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 2,84,000/- रुपए (दो लाख चौरासी हजार रुपए) है, जो उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 मास के भीतर देय था। अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया था कि यदि प्रत्यर्थी सीए. प्रेम कुमार पी.के. (सदस्यता संख्या 028270) अनुबंधित समय, अर्थात् 3 मास के भीतर जुर्माने का संदाय करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। चूंकि, प्रत्यर्थी यथा-अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की

धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. प्रेम कुमार पी.के. (सदस्यता संख्या 028270) का नाम, 22 अक्तूबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./356/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/89/17/DD/77/TAMC/INF/17/DC/1154/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Prem Kumar P K (Membership No. 028270), Parasu Bhavnam, 33, Chokkanathapuram Main Road, Near IT Office, MADURAI 625 014.,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 2,84,000/- (Rupees Two Lakh Eighty Four Thousand) only which was payable within 3 months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Prem Kumar P K (Membership No. 028270),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months, his name should be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Prem Kumar P K (Membership No. 028270), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 22nd October, 2021.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./356/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230641
CG-DL-E-22102021-230641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]
No. 491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/304/2014/डीडी/04/2016/डीसी/650/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. जितेंद्र कुमार अमर (सदस्यता संख्या 065389), 1/1ए, गणेश सरकार लेन, खिदरपुरे, कोलकाता 700 023 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. जितेंद्र कुमार अमर (सदस्यता संख्या 065389) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. जितेंद्र कुमार अमर (सदस्यता संख्या 065389) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./355/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/304/2014/DD/04/2016/DC/650/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Jeetendra Kumar Amar (Membership No. 065389), 1/1A, Ganesh Sarkar Lane, Khidderpore, KOLKATA 700 023**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (6), (7) and (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Jeetendra Kumar Amar (Membership No. 065389)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Jeetendra Kumar Amar (Membership No. 065389)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./355/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230642
CG-DL-E-22102021-230642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]
No. 502]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/342/14-डीडी/360/14-डीसी/901/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. मधुकर रघुनाथ टीले (सदस्यता संख्या 042963), कार्यालय संख्या 2, पहली मंजिल, वैशम्पायन संकुल, होटल पंचवटी के सामने, नासिक 422 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. मधुकर रघुनाथ टीले (सदस्यता संख्या 042963) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मधुकर रघुनाथ टीले (सदस्यता संख्या 042963) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./366/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/342/14-DD/360/14-DC/901/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Madhukar Raghunath Tile (Membership No. 042963), Office No. 2, 1st Floor, Vaishampayan Sankul, Opp. Hotel Panchvati, NASHIK 422 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (7) and (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Madhukar Raghunath Tile (Membership No. 042963)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Madhukar Raghunath Tile (Membership No. 042963)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22nd October, 2021.

C.A. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./366/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230651
CG-DL-E-23102021-230651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 495]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/318/2015/डीडी/76/2016/डीसी/682/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अंकित डागा (सदस्यता संख्या 419176), फ्लैट नंबर 203, श्याम एन्क्लेव बी-25, देवी चिरंजीवी कॉलोनी, डॉ आर पी डोरिया के सामने, गोपाल पुरा बाय पास, जयपुर 302 015 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अंकित डागा (सदस्यता संख्या 419176) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अंकित डागा (सदस्यता संख्या 419176) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./359/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/318/2015/DD/76/2016/DC/682/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ankit Daga (Membership No. 419176), Flat No. 203, Shyam Enclave B-25, Devi Chiranjivi Colony, Opp Dr. R P Doriya, Gopal Pura Bye Pass, JAIPUR 302 015**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule and Clause (2) of Part IV of the First Schedule of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Ankit Daga (Membership No. 419176)** from the Register of Members for a period of 01(One) year. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ankit Daga (Membership No. 419176)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22nd October, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./359/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230652
CG-DL-E-23102021-230652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]
No. 496]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/131/2016/डीडी/187/2016/डीसी/986/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सुरेश कुमार गोकलानी (सदस्यता संख्या 075009), 11/704, चोपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर 342 008 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सुरेश कुमार गोकलानी (सदस्यता संख्या 075009) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के भुगतान करने में व्यतिक्रम के मामले में उसका नाम अतिरिक्त 1 मास की अतिरिक्त अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. सुरेश कुमार गोकलानी (सदस्यता संख्या 075009) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 04 (चार) मास की समेकित अवधि [3 (तीन) मास और अतिरिक्त 1 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./360/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/131/2016/DD/187/2016/DC/986/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Suresh Kumar Goklani (Membership No. 075009), 11/704, Chopasani Housing Board, JODHPUR 342 008**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Suresh Kumar Goklani (Membership No. 075009)**, from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand) only, to be paid within 30 days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for additional 1 month period. Since the Respondent failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of aforesaid decision of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Suresh Kumar Goklani (Membership No. 075009)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of **04(four) months [3(three) months plus additional 1(one) month] with effect from 22nd October, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./360/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230653
CG-DL-E-23102021-230653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]
No. 503]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/296/14-डीडी/321/14/डीसी/576/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18 (17) और 19 (1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. प्रिया वाधवा चावला (सदस्यता संख्या 516631) 182-ए, इंद्रा विहार, किंग्सवे कैप के पास, दिल्ली 110009 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. प्रिया वाधवा चावला (सदस्यता संख्या 516631) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। तथापि, अनुशासन समिति द्वारा दिए गए दंड को अपील संख्या 07/आईसीएआई/2021 द्वारा अपीलिय प्राधिकरण ने अपने 20 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित करके नाम हटाए जाने की अवधि को एक वर्ष से घटाकर दो माह कर दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. प्रिया वाधवा चावला (सदस्यता संख्या 516631) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./367/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/296/14-DD/321/14/DC/576/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Priya Wadhwa Chawla (Membership No. 516631) 182-A, Indra Vihar, Near Kingsway Camp, DELHI 110 009**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Priya Wadhwa Chawla** (Membership No. 516631) from the Register of Members for a period of 01(One) year. However, the punishment awarded by the Disciplinary Committee has been modified by the Appellate Authority vide its order dated 20th February, 2021 in Appeal No. 07/ICAI/2021 by reducing the period of removal from one year to two months. Accordingly, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Priya Wadhwa Chawla (Membership No. 516631)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) months with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./367/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230654
CG-DL-E-23102021-230654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]
No. 504]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-265/13-डीडी/06/2014-बीओडी/253/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपविनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. संजीत कुमार सिंह (सदस्यता सं. 504600), डब्ल्यूजेड-14, भूतल, दयाल सर कॉलोनी, उत्तम नगर, दिल्ली 110 059 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. संजीत कुमार सिंह (सदस्यता सं. 504600) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. संजीत कुमार सिंह (सदस्यता सं. 504600) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./368/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-265/13-DD/06/2014-BOD/253/2017.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Sanjit Kumar Singh (Membership No. 504600), WZ-14, Ground Floor, Dayal Sir Colony, Uttam Nagar, DELHI 110 059**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Sanjit Kumar Singh (Membership No. 504600)**, from the Register of Members for a period of 15 (Fifteen) days and also imposed a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Sanjit Kumar Singh (Membership No. 504600)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15 (Fifteen) days with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./368/2021-22]